BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 712 OF 2023
(I.A. No.

IN THE MATTER OF:
FARMAN QURESHI …..**APPLICANT**

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE & ORS. …..**RESPONDENTS**

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	Page Nos.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT No. 4, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD	1 – 5
2.	**ANNEXURE-1** True of Commissioner Saharanpur letter dated 21.09.2024.	6
3.	**ANNEXURE-2** True copy of SDM Kairana letter dated 21.01.2025	7
4.	**ANNEXURE-3** True copy of inspection report dated 28.12.2024	8
5.	**ANNEXURE-4** True copy of inspection report dated 20.01.2025	9
6.	**ANNEXURE-5** True copy of recommendations regarding withdrawal of showcause notice dated 27.08.2024	10 – 14
7.	**ANNEXURE-6** True copy of letter dated 13.06.2025	15
8.	**ANNEXURE-7** True copy of letter dated 27.06.2025	16

FILED BY :

NEW DELHI
DATED 30 06.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for Respondent No. 4,
U.P. Pollution Control Board,
138, New Lawyers' Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
Mob. 9810252518
Email : pradeepmisra@yahoo.com

NOTARIAL NOTARIAL
NOTARY PRERNA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR Reg. No. 7868 GOVT. OF INDIA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 712 OF 2023

IN THE MATTER OF:
FARMAN QURESHI .....**APPLICANT**

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE & ORS. .....**RESPONDENTS**

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT No. 4, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

I, Geetesh Chandra, S/o. Shri Radhey Shyam Chandra, aged about 47 years, Regional Officer U.P. Pollution Control Board, Muzaffarnagar, U.P. hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I in the above noted capacity am well conversant with the facts and record of the present case, hence am competent to swear this affidavit.

2. That the above noted matter came up for hearing on 22.11.2024 when this Hon'ble Court has directed the replying Respondent to file report disclosing the progress of the action initiated against Respondent No. 10.

3. That Respondent No. 10 is an integrated slaughterhouse wherein consent has been issued for slaughter of 600 buffalos. Its consent is valid till 31.12.2028.

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR
30 JUN 2025

4. That inspection of the premises of Respondent No. 10 was done on 18.05.2024 as well as on 25.06.2024 when it has been found that the discharge norms are higher than the prescribed limit and thus there was violation for the condition of consent. Besides this, some complaints have also been found against the Respondent No. 10, hence a showcause notice dated 27.08.2024 has been issued to Respondent No. 10 to showcause as to why the consent be not suspended and operation of the unit be not closed. It was also mentioned that further Respondent No. 10 has been asked to showcause as to why the Environmental Compensation @ Rs. 30,000/- be not imposed till the remedial measures are taken by it.

5. That again the inspection of the unit was done on 20.09.2024 when it has been found that effluent discharge by the unit is within norms. Further, as per the directions of Commissioner, Saharanpur Division, Saharanpur vide letter dated 21.09.2024 **(Annexure-1)**, a joint committee has inspected the premises of Respondent No. 10 on 18.11.2024. During the inspection of Joint Committee, industry has not been found Compliant. The report of the committee submitted before Divisional Commissioner Saharanpur on Dated 28.11.2024 which is already annexed as Annexure A-2 with I.A. No. 56 of 2025. Further, the Directions have been conveyed by SDM Kairana vide letter Dated 21.01.2025 upon the Joint Committee recommendation to Regional Officer. True copy of SDM Kairana letter dated 21.01.2025 is being enclosed herewith and marked **Annexure-2.**

6. That the Regional Office of the replying Respondent again carried out inspection of the premises of Respondent No. 10 on 28.12.2024 when it has been found compliant. True copy of

inspection report dated 28.12.2024 is being enclosed herewith and marked **Annexure-3.**

7. That thereafter an inspection of the unit has been made on 20.01.2025 by District Level Committee constituted for inspection of the units during Mahakumbh when it has been found that no industrial effluent is being discharged in any river or drain and is being used for irrigation in their own land. True copy of inspection report dated 20.01.2025 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-4**.

8. That again inspection of the unit of Respondent No. 10 has been done by a team constituted by District Magistrate consisting of Chief Veterinary Officer, District Designated Officer, Food Safety and Medicine Administration, Shamli and U.P. Pollution Control Board. The said team has inspected the unit on 15.02.2025 when it has been found that as per analysis report the effluent discharge is within norms.

9. That Respondent No. 10 in its reply to showcause notice dated 28.09.2024 has informed that he has got analysis of its water sample from NABL Accredited Laboratory on 27.06.2024 according to which the same has been found within norms.

10. That considering everything the Regional Office has found that Respondent No. 10 remained non-compliant from 18.05.2024 to 26.06.2024 for 40 days and from 18.11.2024 to 27.12.2024 i.e. total 40 days, hence the total days for non-compliance has been computed 80 days. The benefit of 15 days when the unit was closed for Eid Festival and unavailability of raw material has also been taken into account and thus total default days has been

NOTARY GOVT. OF INDIA PREMA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR Reg. No. 7066

computed as 65. On the basis of the same the total Environmental Compensation has been assessed as Rs. 19,50,000/-. True copy of recommendations regarding withdrawal of showcause notice dated 27.08.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-5.**

11. That the replying Respondent vide letter dated 13.06.2025 has imposed Environmental Compensation of Rs. 19,50,000/- against Respondent No. 10 and directed to the said Respondent to deposit the same immediately. True copy of letter dated 13.06.2025 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-6**.

12. That again the Respondent No. 10 vide letter dated 20.06.2025 has been directed to deposit amount of Environmental Compensation.

13. That Respondent No. 10 on 23.06.2025 has deposited amount of Rs. 5,00,000/- against the Environmental Compensation of Rs. 19,50,000/-.

14. That the Board has taken further action for recovery of remaining amount of Rs. 14,50,000/- and sent a letter to District Magistrate, Shamli accordingly. True copy of letter dated 27.06.2025 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-7.**

NOTARY PRERNA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR Reg. No. 7306 GOVT. OF INDIA

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the deponent abovenamed, do hereby verify that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing material has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 30th DAY OF JUNE, 2025 AT MUZAFFARNAGAR.

DEPONENT

NOTARY
PRERNA TYAGI
MUZAFFARNAGAR
GOVT. OF INDIA

Identified by

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

30 JUN 2025

Annexure-1

कार्यालय आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर

[illegible]

संख्या 4956/पी0ए0 दिनांक: 21/09/2024

—:: कार्यालय ज्ञाप ::—

श्री पन्नी पुत्र बुन्दू व समस्त मौहल्लेवास निवासी मौहल्ला दरबारखुर्द · रेत्तीवाला व मौहल्ला कुरैशियान वार्ड न0 13 व वार्ड नं0 10 कस्बा व तहसील कैराना जनपद शामली द्वारा जनसुनवाई के दौरान अधोहस्ताक्षरी के समक्ष संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उसके वार्ड न0 13 व उससे सटे हुये वार्ड नं0 10 मे स्थित मीट फैक्ट्री प्लान्ट के स्वामी द्वारा मीट फैक्ट्री के अवशेषो का समुचित निस्तारण नहीं किया जाता है। जिस कारण आस पास के क्षेत्रो मे गन्दगी फैली रहती है तथा भूजल भी प्रदूषित हो गया है। प्रार्थी द्वारा आबादी के बीच स्थित उक्त मीट फैक्ट्री को बंद करावार अन्यत्र स्थानान्तरित कराये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त प्रकरण में कार्यवाही हेतु पूर्व में भी जिलाधिकारी शामली को निर्देशित किया गया था किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। अतः प्रकरण की जॉच हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :—

1—	श्री रमेश यादव, अपर आयुक्त, सहारनपुर मण्डल	अध्यक्ष
2—	उप जिलाधिकारी कैराना	सदस्य
3—	पुलिस क्षेत्राधिकारी, कैराना	सदस्य
4—	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, शामली	सदस्य
5—	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मु0नगर	सदस्य
6—	मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, शामली	सदस्य

उक्त गठित समिति गहनता से प्रकरण की जॉच कर, अपनी संयुक्त हस्ताक्षरित सुस्पष्ट जॉच आख्या एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

(हृषिकेश भास्कर यशोद)
आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. जिलाधिकारी, शामली।
2. पुलिस अधीक्षक, शामली।
3. उक्त गठित समिति को अनुपालनार्थ।

HBYASHOD

आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-2

Ks 27-1-25

कार्यालय उप जिलाधिकारी कैराना जनपद-शामली।

पत्रांकः-1626 /एस0टी0 दिनांकः-21 .01.2025

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड,
मुजफ्फरनगर/शामली।

श्री धन्नी पुत्र बुद्व आदि, निवासी मौह0 दरबारखुर्द कैराना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपर आयुक्त (न्यायिक) महोदय सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 18.11.2024 को अपर आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल सहारनपुर की अध्यक्षता में कस्बा कैराना स्थित मीम एग्रो फूडस प्रा0लि0 की संयुक्त जॉच की गयी थी, जिसमें आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल सहारनपुर द्वारा जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित कर उक्त जॉच के आधार पर संयुक्त टीम द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या मे उल्लिखित बिन्दुओं का शासनादेश में दिये गये प्राविधानो के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः शासनादेश में दिये गये प्राविधानो के अनुरूप आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के आदेश के क्रम में कार्यवाही/अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 30.01.2025 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी महोदय को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा सकें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

उप जिलाधिकारी
कैराना।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी
कैराना।

Annexure-3

उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली का औचक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 28.12.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में मौ0 तनवीर, मैनेजर उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण के निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

1– उक्त उद्योग एक इन्टीग्रेटेड पशुवधशाला है, जिसे राज्य बोर्ड से प्रतिदिन 600 महिषवंशी पशुओं की स्लाटरिंग हेतु राज्य बोर्ड से सशर्त जल एवं वायु सहमति निर्गत है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2028 तक है।

2– उद्योग की प्रक्रिया स्लाटरिंग, फ्लोर वॉशिंग तथा रैण्डरिंग प्लांट से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयां स्क्रीन चैम्बर, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्वालाईजेशन टैंक, डिजोल्व्ड एयर फ्लोटेशन, सीक्वेंशियल बायो–रिएक्टर, मल्टीग्रेड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर तथा स्लज ड्राइंग बैड्स आदि हैं। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित पाया गया तथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के फाइनल आउटलेट से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार समस्त प्रदूषित प्रचालकों का मान निर्धारित मानको के अनुरूप पाया गया है। विश्लेषण आख्या संलग्न है। उद्योग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह सिंचाई में प्रयोग किया जाता पाया गया।

3– उद्योग में शुद्धिकृत उत्प्रवाह की जलगुणवत्ता के सतत् अनुश्रवण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के फाइनल आउटलेट पर Online Continuous Efflument Monitoring System (OCEMS) स्थापित है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के सर्वर से लिंक है।

4– उद्योग में स्लाटरिंग प्रक्रिया से जनित निष्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं मॉस आदि के निस्तारण हेतु रैण्डरिंग प्लांट स्थापित है, जो निरीक्षण के समय संचालित पाया गया।

5– उद्योग में स्लाटरिंग से जनित ब्लड के निस्तारण हेतु ब्लड कोगुलेटर स्थापित है, जो निरीक्षण के समय संचालित पाया गया।

6– उद्योग में भाप की आपूर्ति हेतु 6 टीपीएच क्षमता का ब्यायलर स्थापित है, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टीसाइक्लोन तथा भूतल से 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। निरीक्षण के समय वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित पायी गयी।

7– उद्योग में रैण्डरिंग प्लांट से जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु बायोफिल्टर स्थापित है, जो संचालित पाया गया।

8– उद्योग से जनित सॉलिड वेस्ट गोबर को स्वयं की भूमि पर एकत्रित भण्डारित किया जाता है। उक्त स्थल के चारो ओर फेन्सिंग की व्यवस्था पायी गयी।

9– उद्योग के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच16194/सी–3/जल–589/2024 दिनांक 27.08.2024 के द्वारा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की यथासंशोधित धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(दिवाकर देव गहलौत)
जे0आर0एफ0

(राजा गुप्ता)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

— निरीक्षण आख्या —

Annexure-4

1– उद्योग का नाम मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा० लि० कांधला रोड कैराना शामली

2– निरीक्षणकर्ता का नाम स्वप्निल कुमार यादव (SDM कैराना) राजा गुप्ता J.E., किशन देवराज (J.R.F)

3– निरीक्षण का दिनांक 20/01/2025

4– उद्योग प्रतिनिधि का नाम तनवीर अहमद मैनेजर

5– कच्चे माल का विवरण 600 No. महिषवंशी पशु

6– उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता फ्रोजन मीट, बोन मील, टैलो

7– उत्पादन प्रक्रिया का विवरण भैंस प्रजाति के पशुओं का वध कर फ्रोजन मीट का उत्पादन

8– शुद्धिकरण संयंत्र का विवरण Screen chamber, oil & Grease Trap equalization tank, DAF, SBR, Multigrade filter Activate carbon filter & Sludge drying bed.

9– निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया/नहीं पाया गया संचालित पाया गया

10– उद्योग द्वारा उत्प्रवाह जनित हो रहा था/शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था का विवरण ... उद्योग से जनित उत्प्रवाह किसी भी नदी नाले में निस्तारित होता हुआ नहीं पाया गया

11– यदि उत्प्रवाह जनित हो रहा था तो नमूना एकत्र किया गया अथवा नहीं ... नहीं

12– अन्य विवरण/संस्तुति उद्योग से जनित उत्प्रवाह काली नदी में उत्प्रवाहित नहीं होता पाया गया

20/01/25

नामित प्रतिनिधि
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुजफ्फरनगर

उपजिलाधिकारी/नामित प्रतिनिधि
तहसील कैराना
जनपद शामली।

Annexure-5

बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच25426/सी–3/जल–589/2025 दिनांक 10.03.2025 के क्रम में उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.08.2024 के निक्षेपण के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच21667/सी–3/शि0 96/मु0नगर/24 दिनांक 23.12.2024 एवं पत्रांक एच22987/सी–3/शि0 96/25 दिनांक 21.01.2025 उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध प्राप्त शिकायती प्रकरणों के सम्बन्ध में उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.02.2025 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान निम्नवत् तथ्य पाये गये थे :–

1– उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली एक इन्टीग्रेटेड पशुवधशाला है, जिसे 600 बड़े पशुओं (महिषवंशी) के पशुवध हेतु राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु निर्गत है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2028 तक है। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।

2– उद्योग में स्लाटरिंग, फ्लोर वॉशिंग तथा रैण्डरिंग प्लांट से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयां स्क्रीन चैम्बर, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्वालाईजेशन टैंक, डिजोल्व्ड एयर फ्लोटेशन, सीक्वेंशियल बायो–रिएक्टर, मल्टीग्रेड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर तथा स्लज ड्राइंग बैड्स आदि हैं। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित पाया गया तथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के इनलेट एवं फाइनल आउटलेट से उत्प्रवाह के नमूने एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्याओं के अनुसार उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से एकत्रित जल नमूने में समस्त प्रदूषित प्रचालकों का मान बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया। दिनांक 05.02.2025 लिये गये जल नमूनों की विश्लेषण आख्या की छायाप्रति संलग्न है **(संलग्नक–1)**।

3– शुद्धिकृत उत्प्रवाह की जलगुणता के सतत् अनुश्रवण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट पर ऑनलाइन इफ्ल्यूएंट मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से लिंक है।

4– निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से जनित हो रहे उत्प्रवाह को उद्योग से लगभग 1 किमी0 की दूरी पर स्थित स्वयं की भूमि पर सिंचाई में प्रयुक्त किया जाता पाया गया।

5– उद्योग में पशुवध से जनित ब्लड के निस्तारण हेतु ब्लड कोगुलेटर स्थापित है, जो निरीक्षण के समय संचालित पाया गया।

6– उद्योग में स्लाटरिंग प्रक्रिया से जनित निष्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं माँस इत्यादि के निस्तारण हेतु रैण्डरिंग प्लांट स्थापित है, जो निरीक्षण के समय संचालित पाया गया।

7– उद्योग में वायु प्रदूषण स्रोत के रूप में 6.0 टीपीएच वाष्प जनन क्षमता का ब्वायलर स्थापित है, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टीसाइक्लोन तथा भूतल से लगभग

क्रमशः ...2...

Deepti JE   Khutesh CAEO

30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। चिमनी से जनित उत्सर्जन में प्रचालकों के सतत् अनुश्रवण हेतु ऑनलाइन कन्टीन्युअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है। निरीक्षण के समय वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित पायी गयी।

8– उद्योग में रैण्डरिंग प्लांट से जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु बायोफिल्टर स्थापित है, जो संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय बायोफिल्टर पर पानी का छिड़काव होता हुआ पाया गया।

9– उद्योग में स्लाटरिंग से जनित गोबर को स्वयं की भूमि पर डम्प किया जाता पाया गया।

पूर्व में इस कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 18.05.2024 एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 15.05.2024 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा उपरोक्त वर्णित शिकायती उद्योग का निरीक्षण दिनांक 25.06.2024 को किया गया था। गठित संयुक्त समिति की संस्तुतियों दिनांक 12.07.2024 एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.06.2024 द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच16194/सी–3/जल–589/2024 दिनांक 27.08.2024 द्वारा उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

अग्रेतर, अवगत कराना है कि श्री धन्नी पुत्र बुद्ध व समस्त मौहल्लेवासी निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द–रेत्तेवाला व मौहल्ला छड़ियान, वार्ड नं0 13 व 10, कस्बा व तहसील कैराना, जनपद शामली द्वारा दिये गये शिकायती पत्र के क्रम में आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा अपने पत्रांक 3422/एसटी/2024 दिनांक 12.11.2024 **(संलग्नक–2)** द्वारा उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के निरीक्षण हेतु संयुक्त समिति का गठन कर जाँच आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्क्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 18.11.2024 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की कुछ इकाईयाँ सुचारू रूप से संचालित नही पायी गयी थी। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के फाइनल आउटलेट से उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया था। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रचालक pH=6.9, BOD=48 mg/l, COD=320 mg/l, TSS=48 mg/l, TDS=1496 mg/l, TS = 1544 mg/l मानकों से अधिक पाये गये थे **(संलग्नक–3)**। तत्क्रम में उद्योग के विरूद्ध दिनांक 18.05.2024 से 18.11.2024 के मध्य कुल 185 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 55,50,000/– अधिरोपित किये जाने एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या संयुक्त समिति द्वारा आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को प्रेषित की गयी थी। तत्क्रम में उपजिलाधिकारी कैराना के पत्रांक 1626/एसटी दिनांक 21.01.2025 **(संलग्नक–4)**, जो इस कार्यालय में दिनांक 27.01.2027 को प्राप्त हुआ, के द्वारा संयुक्त समिति की आख्या के अनुसार उद्योग के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

क्रमशः ...3...

D:\Neeraj Mittal\Inspection report 2025.doc

SE (AEE)

अग्रेतर, अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी शामली के पत्रांक 1014/जी–70/महाकुम्भ/शामली/2024 दिनांक 18.11.2024 द्वारा महाकुम्भ प्रयागराज के दौरान उद्योगों के निरीक्षण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा भी उद्योग का निरीक्षण दिनांक 20.01.2025 को किया गया। तत्समय उद्योग संचालित पाया गया था तथा उद्योग से किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह किसी नदी अथवा नाले में निस्तारित होता हुआ नहीं पाया गया था तथा स्वयं की भूमि पर सिंचाई में प्रयुक्त होता पाया गया था।

यह भी अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी शामली के पत्र संख्या 127/न्यायिक सहायक दिनांक 10.02.2025 **(संलग्नक–5)** द्वारा उक्त उद्योग के संयुक्त निरीक्षण हेतु उपजिलाधिकारी कैराना, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी शामली, जिला अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन शामली एवं इस कार्यालय की टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा उद्योग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 15.02.2025 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की समस्त इकाईयां संचालित पायी गयी। ई0टी0पी0 के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से शुद्धिकृत उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय के प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार समस्त प्रदूषित प्रचालकों का मान निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं विश्लेषण आख्या संलग्न है **(संलग्नक–6)**।

उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उद्योग विभिन्न दिनांकों के मध्य उल्लंघनकारी श्रेणी में आच्छादित रहा है, जिस हेतु उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः उद्योग के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी–31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी–1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स को आधार मानते हुए संशोधित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् हैः–

PI = Pollution Index of Industrial Sector – पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। सन्दर्भित इकाई लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान **80** रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place – उद्योग का पूर्व में औचक निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.05.2024 एवं बोर्ड मुख्यालय से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 25.06.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित उत्प्रवाह मानको के अनुरूप न पाये जाने पर बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 27.08.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। तत्पश्चात् उद्योग का पुनः निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 20.09.2024 को किया गया था, तत्समय उद्योग से लिये गये जल नमूनों में प्रचालकों का मान बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया था। विश्लेषण आख्या संलग्न है **(संलग्नक–7)**।

क्रमशः ...4...

अग्रेतर, मा0 आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 18.11.2024 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान उद्योग पुनः नॉन–कम्प्लाइंग पाया गया। इस कार्यालय द्वारा उद्योग का पुनः निरीक्षण दिनांक 28.12.2024 को किया गया, तत्समय उद्योग से लिये गये जल नमूनों में प्रचालकों का मान बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया था। विश्लेषण आख्या संलग्न है **(संलग्नक–8)**। वर्तमान में बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त शिकायती प्रकरणों के सम्बन्ध में उद्योग का नवीनतम निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.02.2025 को किया गया तथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से लिये गये जल नमूने में समस्त प्रदूषित प्रचालकों का मान बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया तथा उद्योग कम्प्लांइग पाया गया था।

अग्रेतर, उद्योग द्वारा अपने प्रत्युत्तर दिनांक 28.09.2024 में अवगत कराया गया कि उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के इनलेट एवं आउटलेट के जल नमूनों का विश्लेषण एन.ए.बी.एल. एक्रिडिटिड प्रयोगशाला से दिनांक 27.06.2024 में कराया गया था, जिसकी छायाप्रति प्रत्युत्तर के साथ संलग्न की गयी **(संलग्नक–9)**। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट के जल नमूने की प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार समस्त प्रदूषित प्रचालकों का मान निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उद्योग दिनांक 18.05.2024 से 26.06.2024 के मध्य कुल **40 दिवस** एवं दिनांक 18.11.2024 से 27.12.2024 तक कुल **40 दिवस** उल्लंघनकारी श्रेणी में रहा है। अतः कुल उल्लंघनकारी दिवस **80** आगणित होते हैं।

उद्योग द्वारा प्रत्युत्तर दिनांक 28.09.2024 द्वारा यह भी सूचित किया गया कि दिनांक 10.06.2024 से 24.06.2024 तक ईद के त्यौहार, कच्चे माल की अनुपलब्धता एवं लेबर के छुट्टी पर जाने के कारण कुल 15 दिवसों में उद्योग संचालित नहीं किया गया है, जिस सम्बन्ध में उद्योग द्वारा एन्टीमार्टम एवं पोस्टमार्टम का विवरण उपलब्ध कराया गया है **(संलग्नक–10)**। इन 15 दिवसों को सम्मिलित किया जाना उचित नहीं है। अतः कुल उल्लंघनकारी दिवसों की संख्या **80–15 = 65 दिवस** आगणित होती है।

R = R is a factor in Rupees for Penalty – केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदानुसार गणना शीट में R का मान **250** लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = इकाई वृहद् श्रेणी एवं लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होती है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार वृहद श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान **1.5** लिया जाना उचित होगा।

LF = Location factor = इकाई से निकटतम शहरों की जनसंख्या 10 लाख के अन्दर आती है। अतः LF का मान **1** लिया जाना उचित है।

क्रमशः ...5...

SE

(AEE)

उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :–

EC = PIxNxRxSxLF

= 80 x 65 x 250 x 1.5 x 1

= 19,50,000/-

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध रूपये 19,50,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच16194/सी–3/जल 589/2024 दिनांक 27.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को सशर्त निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उपरोक्तानुसार आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(राजा गुप्ता)
अवर अभियन्ता

(कुँवर संतोष कुमार)
सहा0पर्या0अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० 285/C/M-57/Shamli/2025
Ref. No.

दिनांक 13-6-2025
Dated

मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0
कांधला रोड, कैराना
जिला शामली।

विषय– उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 19,50,000/– को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आप अवगत ही हैं कि बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्रांक एच16194/सी–3/जल–589/मु0नगर/2024 दिनांक 27.08.2024 द्वारा आपके उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच25675/सी–3/जल–589/मु0नगर/2025 दिनांक 12.03.2025 द्वारा रूपये 19,50,000/– (रूपये उन्नीस लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए सशर्त निक्षेपित किया गया था। राज्य बोर्ड से अधिरोपित उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि एवं अनुपालन आख्या आपके द्वारा वर्तमान तक राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराये जाने की कोई सूचना इस कार्यालय में प्राप्त नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपये 19,50,000/– को निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से तत्काल जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

Payment Gateway – https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB

Nature of Polllution – Water Pollution

EC imposed in compliance – UPPCB Order

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान तथा अनुपालन आख्या 02 दिवस के अन्दर न किये जाने की दशा में अधिरोपित धनराशि रूपये 19,50,000/– की वसूली भू–राजस्व की भाँति किये जाने एवं उद्योग के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग एवं इसके उत्तरदायी संचालकों का स्वयं का होगा।

भवदीय,
13/6/25
(गीतेश चन्द्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

13/6/25
क्षेत्रीय अधिकारी

(AEE)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H29641 /सी–3/जल 589/ 2025 दिनांक 27/6/2025

Annexure-7

To,

The Collector,
District Shamli.

Sub: **Regarding realization/recovery of Environmental Compensation imposed by Board against M/s Meem Agro Foods Pvt. Ltd., Kandhla Road, Kairana, Shamli vide letter number H-25675/C-3/Water-589/Muzaffarnagar/25 Dated 12-03-2025 .**

Please refer to the Board's letter number एच-16194/सी-3/जल-589/2024 Dated 27.08.2024 vide which UPPCB had issued Show Cause Notice to the M/s Meem Agro Foods Pvt. Ltd., Kandhla Road, Kairana, Shamli U/s Section 33A, in conjunction with Section 27(2) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and issued Show Cause for imposition of EC as per the mechanism developed by CPCB in compliance of Hon'ble NGT's direction for the period of default. **(copy attached)**.

After consideration of facts observed during various inspection and on the basis of RO recommendation Board has issued Show Cause revoke letter vide letter एच-25675/सी-3/जल-589/मु०नगर/25 Dated 12.03.2025 with imposition of Environmental Compensation of Rs. 19,50,000/- against the Unit for the period of violation environmental norms (copy attached).

As per office records the Environmental Compensation imposed against the Unit has not been realized/recovered till date. Regional Officer, UPPCB, Muzaffarnagar has recommended to issue recovery letter against the said Unit vide his letter no. 314/सी/एम-57/शामली/2025 Dated 20.06.2025 with required information and documents **(Copy attached)**.

As per latest information received from the Unit through its E-mail dated 23-06-2025, Unit has submitted Rs. 5,00,000/- as Environmental Compensation in Board's account. This is verified by Accounts Department of UPPCB. **(Copy attached)**.

Hence, in view of above you are hereby requested to recover the rest amount of Rs. 14,50,000/- and deposits it into the dedicated account of UPPCB opened in ICICI Bank, Vibhuti Khand-II Branch, Gomti Nagar, Lucknow. The URL of payment gateway is https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB. The cost of the proceedings if any shall be recovered additionally.

1. Amount to be recovered - Rs. 14,50,000/- (Rs. Fourteen Lakh Fifty Thousand only)
2. URL of payment gateway https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB

Attachment:- As above.

Yours Sincerely,

Digitally signed by
SANJEEV KUMAR SINGH
Date: 27-06-2025
11:07:47

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

Copy to: for information and necessary action.

1-Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Muzaffarnagar.

2- Account Officer I/c, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.